

कार्यालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक...../s.w./


विदिशा, दिनांक 06.03.2024

कार्य विभाजन आदेश

मैं जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के क्रमांक 150/गोपनीय/2024, जबलपुर दिनांक 23.02.2024 के द्वारा श्रीमती दीपा पोल, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड लटेरी का स्थानांतरण तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जबलपुर होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश की पदस्थापना न होने से सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 15, 7(2) एवं 21(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 03 दिनांक 19.01.2024 में निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ, जो **आदेश दिनांक से तत्काल** प्रभावशील होगा :-

सिविल				
क्रं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	कार्य विभाजन	रि.
51	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लटेरी	राजस्व जिला विदिशा की तहसील लटेरी	समस्त कंडिकाएँ विलोपित।	
52	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लटेरी के न्यायालय के अति. व्यवहार न्यायाधीश, लटेरी	राजस्व जिला विदिशा की तहसील लटेरी	1- प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अन्तरित सिविल प्रकरण। 2- व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक हो तथा उनकी निष्पादन व विविध कार्यवाहियाँ। 3- लघुवाद जिनका मूल्यांकन 201/-रुपये से अधिक ना हो। 4- पूर्व में पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड लटेरी के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आदेशों के निष्पादन तथा अपीलीय न्यायालय से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाहियाँ एवं विविध कार्यवाहियाँ।	
क्रं.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायालय का नाम		
36	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड लटेरी	समस्त कंडिकाएँ विलोपित		
37	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड लटेरी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश लटेरी	1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सिरोंज 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिरोंज 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गंजबासौदा 4. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, गंजबासौदा		

शेष पूर्ववत्।



 (जाकिर हुसैन)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 विदिशा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 780 / एस.डब्ल्यू / 2024

विदिशा, दिनांक 06/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अधिनियम) विदिशा
3. समस्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई लटेरी
4. समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड एवं कनिष्ठ खंड, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा
6. केन्द्रीय पंजीयन काउंटर, विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अभिभाषक संघ, विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई/लटेरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, विदिशा की ओर समस्त न्यायाधीशगण, न्यायिक कर्मचारीगण, अधिवक्तागण को ई-मेल करने एवं जिला न्यायालय की वेवसाईट पर कार्य विभाजन आदेश की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 विदिशा (म.प्र.)